राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 24 अप्रैल, 1989

क्रमांक 244-ज-I-89/11178.—पूर्वी पंजाब युध्द पुरस्कार अधिनियम, 1948, जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (ए) तथा 3 (1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती तुलसी बाई विधवा श्री नारायण दास, गांव सत्यानगर शाहबाद मारकंडा, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1969 से 100 रुपये, खरीफ 70 से खरीफ 79 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 80 से 300 रुपये वार्षिक सदन में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 270-ज-II-89/11182.—श्री सरदार सिंह, पुत्र श्री राम कला, निवासी गांव खरमान, तहसील बहादरगढ़, जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1378-ज-II-80/32478, दिनांक 12 सतम्बर, 1980, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री सरदार सिंह की दिनांक 22 अप्रैल, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री भगवान सिंह की विधवा श्रीमती छन्नो देवी के नाम रबी, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 245-ज-(1)-89/11212.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुच्चा सिंह, पुत्र श्री संत सिंह, गांव गुमथलागढ़, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र, को खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 274-जII-89/11216.—श्री शेर सिंह, पुत्र श्री थम्मन सिंह, निवासी गांव डीघल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1537-ज-II-76/26111, दिनांक 14 अगस्त, 1976, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री शेर सिंह की दिनांक 31 जुलाई, 1988, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री शेर सिंह की विधवा श्रीमती शुभाकौर के नाम रबी, 1989 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं

क्रमांक 314-ज-(2)-89/11220.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती असरफी देवी विधवा श्री राम सिंह, गांव खुडाना की ढाणी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।